रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 553] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 8, 2018/श्रावण 17, 1940
No. 553] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 8, 2018/SHRAVANA 17, 1940

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 755(अ).—सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक तथा अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता रोकड़ और मूल्यवान सामग्रियों की सुरक्षित प्रबंधन और परिवहन के लिए निजी सुरक्षा अभिकरणों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही बख्तरबंद गाड़ियों की सेवा को बाहरी स्रोत से ले रहे हैं;

और यह आकलन किया गया है कि संपूर्ण देश में आठ हजार से अधिक निजी स्वामित्व में रोकड़ वैन चल रही हैं जिनका प्रचालन गैर बैंककारी निजी अभिकरणों द्वारा किया जा रहा है जो बैंककारी क्षेत्र के लिए सेवा प्रदाता या आउटसोर्सिंग अभिकरण के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा इस समय बैंकों की ओर से प्रत्येक दिन पंद्रह हजार करोड़ रुपए से अधिक मुद्रा का वहन कर रहे हैं तथा कभी-कभी वह बैंकों के निमित्त अपनी निजी रोकड़ अंत:कक्षों में रात्री के दौरान इस मुद्रा को भी रखते हैं;

और हाल ही के वर्षों में, रोकड़ वैनों और रोकड़ अंत:कक्ष पर आक्रमण की घटनाओं तथा एटीएम कपटों और इन निजी अभिकरणों के कर्मचारियों द्वारा दुर्विनियोग में वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरुप सार्वजनिक धन का नुकसान हुआ है, जिससे असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई है;

और निजी स्वामित्व में रोकड़ वैन और रोकड़ अंत:कक्ष बदमाशों के लिए आसान लक्ष्य बन गए हैं तथा विभिन्न राज्य पुलिस अभिकरणों द्वारा अनेक घटनाओं की रिपोर्ट की गई है तथा अवांछनीय तत्वों के हाथ में बड़ी संख्या में रोकड़ के जाने का जोखिम बढ़ गया है;

और दिन प्रतिदिन के बैंककारी परिचालनों में रोकड़ के संचालन के कृत्य को सुरक्षित रखने के महत्व को तथा आने वाले वर्षों में बैंकिंग और एटीएम परिचालनों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक समझा गया है कि रोकड़ परिवहन कार्यकलापों के लिए निजी सुरक्षा अभिकरणों द्वारा सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकृत किए जाएं, जिनकी निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अधीन नियम विरचित करते समय राज्य सरकारों द्वारा पुष्टि की जाएगी;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 29) की धारा 25 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रोकड़ परिवहन कार्यकलापों के लिए निजी सुरक्षा अभिकरणों द्वारा सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने की रीति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित मॉडल नियम बनाती है, अर्थात्:-

मॉडल नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निजी सुरक्षा अभिकरण (रोकड़ परिवहन कार्यकलापों के लिए निजी सुरक्षा) नियम, 2018 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से 6 माह की अवधि के अवसान पर प्रभावी होंगे;

2. **परिभाषाएं**- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 29) अभिप्रेत है ;

(ख) "एटीएम" से स्वचालित गणक मशीन अभिप्रेत है जो रोकड़ का वितरण करती है या तब बैंककारी सेवाओं को करती है जब किसी बैंक का कोई खाता धारक उसमें बैंक कार्ड डालता है;

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों के लिए "बैंक कार्ड" में क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड सम्मिलित है;

(ग) "रोकड़ प्रबंधन अभिकरण", "रोकड़ पुनः पूर्ति अभिकरण" या "वहन में रोकड़ अभिकरण" से कोई अभिकरण या सत्ता अभिप्रेत है, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो जो परिवहन के कार्यकलापों में लगी हुई है;

(घ) "रोकड़ परिवहन कार्यकलापों" से रोकड़ जैसे बैंक नोट, सिक्के, क्रेडिट कार्ड, डेविट कार्ड या अन्य मूल्यवान मदों का एक स्थान से दूसरे स्थान को भौतिक अंतरण अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत किसी एटीएम मशीन में रोकड़ डालना या उससे रोकड़ को निकालना भी है;

(ड.) "निजी सुरक्षा" या "निजी सुरक्षा अभिकरण" का वही अर्थ होगा जो उसका अधिनियम की धारा 2 के खंड (च) या खंड (छ) में है;

(च) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

3. रोकड़ के परिवहन के कार्यकलापों, आदि के लिए निजी सुरक्षा. -- (1) रोकड़ परिवहन के कार्यकलापों के लिए तब तक निजी सुरक्षा अभिकरण द्वारा कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी जब तक कि वह इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति धारण न करता हो।

(2) रोकड़ के परिवहन के कार्यकलापों के लिए निजी सुरक्षा उपलब्ध कराने के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित के बीच कोई संविदा की जा सकेगी, -

(क) निजी सुरक्षा अभिकरण जिसके पास इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति है और संबंधित बैंक; या

(ख) रोकड़ प्रबंधन अभिकरण और संबंधित बैंक:

परंतु यदि रोकड़ प्रबंधन अभिकरण के पास अधिनियम के उपबंधों के अधीन निजी सुरक्षा अभिकरण के रूप में अनुज्ञप्ति है तो ऐसा रोकड़ प्रबंधन अभिकरण स्वयं इन नियमों के उपबंधों के अनुसार रोकड़ परिवहन कार्यकलापों के लिए निजी सुरक्षा उपलब्ध करा सकेगा।

4. विशेष रूप से डिजाइन की गई और तैयार की गई रोकड़ वैन का उपयोग-(1) कोई निजी सुरक्षा अभिकरण किसी बैंक को या रोकड़ प्रबंधन अभिकरण को रोकड़ के परिवहन के कार्यकलापों के लिए तब तक निजी सुरक्षा या निजी सुरक्षा गार्ड उपलब्ध नहीं कराएगा जब तक ऐसे कार्यकलाप सुरक्षित रोकड़ वैन में जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट डिजाइन और विशिष्टियों की शर्तों के अनुरूप है जो यथास्थिति, उसके या बैंक के या रोकड़ प्रबंधन अभिकरण के स्वामित्व में है, नहीं किए जाते हैं।

(2) किसी निजी सुरक्षा अभिकरण द्वारा रोकड़ के परिवहन के लिए किसी टैक्सी या किराए पर लिए गए यान का उपयोग नहीं किया जाएगा:

परंतु कोई यान जो किसी निजी सुरक्षा अभिकरण या बैंक या रोकड़ प्रबंधन अभिकरण के पास दीर्घ अवधि संविदा पर है और जो उपनियम (1) के अधीन अभी कथित डिजाइन और विशिष्टियों की शर्तों का अनुपालन करता है का निजी सुरक्षा अभिकरण द्वारा उपयोग किया जा सकेगा:

परंतु यह और कि किसी सुदूर अवस्थिति की दशा में जहां निजी सुरक्षा अभिकरण विद्यमान नहीं है और किसी करेंसी तिजोरी द्वारा जहां पर सेवाएं नहीं दी जाती हैं, ऐसे स्थान पर स्थानीय पुलिस के कठोर सुरक्षा नियंत्रण और सहायता के अधीन एक अपवाद के रूप में किसी भी यान का उपयोग किया जा सकेगा।

5. प्रति रोकड़ वैन के लिए अपेक्षित प्रशिक्षित कर्मचारीवृंद की संख्या-(1) निजी सुरक्षा अभिकरण रोकड़ परिवहन कार्यकलापों के लिए, प्रत्यक्षत: नियुक्त या नियोजित अपेक्षित संख्या में उपनियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट प्रशिक्षित कर्मचारीवृंद को निजी सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराएगा।

(2) प्रत्येक रोकड़ वैन में प्रत्येक एकल रोकड़ परिवहन कार्यकलापों के लिए निम्नलिखित न्यूनतम कर्मचारी वृंद होंगे जिनके पास अधिनियम की धारा 10 के अधीन अधिकथित अहर्ताएं और प्रशिक्षण होगा, अर्थात्:-

(i) चालक - एक;

(ii) सशस्त्र सुरक्षा गार्ड - दो; और

(iii) एटीएम अधिकारी या अभिरक्षक- दो

(3) रोकड़ वैन की हर समय कम से कम दो प्रशिक्षित सशस्त्र सुरक्षा गार्डों द्वारा अभिरक्षा की जाएगी:

परंतु वहन की जा रही रोकड़ की रकम पर निर्भर करते हुए व्यष्टिक कंपनी के बीमा मार्गदर्शक सिद्धांतों या ग्राहक संविदा या प्रचालन किए जा रहे स्थान के अनुसार किसी रोकड़ वैन में दो से अधिक सुरक्षा गार्डों को तैनात किया जा सकेगा।

(4) जहां कोई रोकड़ वैन मध्यम मोटरयान है, वहन के दौरान चालक के साथ आगे एक सशस्त्र गार्ड बैठेगा और दूसरा वैन के पिछले भाग में बैठेगा, लादने या उतारने, शौच, चायपान या भोजनावकाश के दौरान कम से कम एक सशस्त्र सुरक्षा गार्ड सभी समय पर रोकड़ वैन में उपस्थित रहेगा।

(5) इन नियमों में किसी अन्य उपबंध के होते हुए भी अन्यथा पात्र भूतपूर्व सैनिक को रोकड़ परिवहन कार्यकलापों के लिए सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए निजी सुरक्षा अभिकरण द्वारा नियुक्त करने या नियोजित करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

6. कार्मिकों के पूर्ववृत की जांच – (1) निजी सुरक्षा अभिकरण रोकड़ परिवहन क्रिया कलापों के लिए किसी कार्मिक को तब तक नियुक्त नहीं करेगा या तब तक नहीं लगाएगा या तब तक तत्समय प्रवृत्त अधिनियम या किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार अभिकरण द्वारा उन्हें नियुक्त करने या लगाने या अभिनियोजित करने से पूर्व ऐसे कार्मिकों के पूर्ववृत्त की पूर्ण जांच और उसका उचित के वाई सी सत्यापन तथा पुलिस सत्यापन न कर लिया जाए।

स्पष्टीकरण – इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए "अपने ग्राहक को जानिए" (केवाईसी) के पद से अभिकरण या कारबार से सहयोजित या सहयोजित किए जाने वाले उसके ग्राहकों या व्यक्तियों की पहचान और सत्यापन करने वाले अभिकरण या कारबार के "अपने ग्राहक को जानिए" प्रक्रिया अभिप्रेत है।

(2) प्रत्येक निजी सुरक्षा अभिकरण रोकड़ परिवहन क्रियाकलाप में भाग लेने वाले किसी व्यक्ति को नियुक्त करने या लगाए जाने से पहले निम्नलिखित जांचों का अनुपालन करने के लिए उत्तरदायी होगा, अर्थात् :-

(क) पुलिस अनापत्ति प्रमाणपत्र – प्रत्येक व्यक्ति नियुक्ति किए जाने या लगाने से पहले अपने क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन से पुलिस अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा।

IndiaCode

(ख) निवास स्थान सत्यापन – निजी सुरक्षा अभिकरण प्रत्येक व्यक्ति के निवास स्थान के पते का भौतिक सत्यापन जिसके अंतर्गत आचरण की जांच भी शामिल है, अपने स्वयं संसाधनों का प्रयोग करते हुए करेगा और व्यक्ति रोकड़ परिवहन क्रियाकलाप के लिए नियुक्त होने या लगाए जाने से पहले कम से कम तीन वर्ष के निवास स्थान पते का प्रमाण सुरक्षा अभिकरण को देगा ।

(ग) पूर्व नियोजक की जांच – निजी सुरक्षा अभिकरण व्यक्ति के पूर्व नियोजन की संदर्भ सहित जांच अपने स्वयं के संसाधनों का प्रयोग करते हुए करेगा ।

(घ) आधार का सत्यापन – रोकड़ परिवहन क्रियाकलाप के लिए नियुक्त या लगा हुआ कोई व्यक्ति भारत के विशिष्ट पहचान अधिकरण से आधार नंबर के माध्यम से पूर्व सत्यापन कराएगा ।

(ङ) प्रत्यय इतिहास की जांच – निजी सुरक्षा अधिकरण प्रत्येक नियुक्त या लगे हुए व्यक्ति के प्रत्यय इतिहास की जांच, यह अभिनिश्चित करने के लिए कि रोकड़ परिवहन क्रियाकलाप के लिए नियुक्ति या लगे हुए व्यक्ति जानबूझकर प्रत्यय व्यतिक्रम करने वाले नहीं है ।

(च) विश्वसनीयता बीमा – निजी सुरक्षा अभिकरण रोकड़ परिवहन क्रियाकलापों के लिए नियुक्त किए गए या लगाए गए प्रत्येक कार्मिकों के संबंध में विश्वसनीयता बीमा अभिप्राप्त करेगा ।

7. कार्मिकों का पर्याप्त प्रशिक्षण और प्रमाणन – निजी सुरक्षा अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि रोकड़ परिवहन क्रियाकलापों के लिए नियुक्ति या लगाए गए प्रत्येक कार्मिक को,-

(क) दूसरी अनुसूची में अधिकथित प्रशिक्षण की अपेक्षाओं के अनुसार ऐसे क्रियाकलापों की सुरक्षा और सुरक्षित प्रबंध के लिए प्रशिक्षण और प्रमाणपत्र दिया जाएगा और

(ख) प्रत्येक दो वर्षों में एक बार पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जाएगा ।

8. प्रचालनों के दौरान रोकड़ वैन की सजीव जीपीएस खोज – (1) प्रत्येक रोकड़ परिवहन क्रियाकलाप ऐसी सुरक्षित रोकड़ वैनों में किए जाएंगे जिनमें जीपीएस खोज युक्ति लगी हो ।

स्पष्टीकरण – इस उप नियम के प्रयोजनों के लिए जीपीएस पद से ऐसी वैश्विक स्थिति प्रणाली अभिप्रेत है जो ऐसी अंतरिक्ष आधारित नेवीगेशन प्रणाली है जो सभी मौसम की दशा में अवस्था और समय की सूचना पृथ्वी पर कहीं भी या उसके निकट वहां उपलब्ध करती है जहां चार या अधिक जीपीएस उपग्रहों की दृष्टि की अवरूद्ध पंक्ति हों ।

(2) निजी सुरक्षा अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक रोकड़ वैन हर समय परिपूर्ण संचार नवाचार के माध्यम से रोकड़ परिवहन क्रियाकलाप के दौरान निगरानी की जाएगी ।

9. एकल रोकड़ वैन में अधिकतम रोकड़ ले जाने के लिए मार्गदर्शन – (1) निजी सुरक्षा अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि रोकड़ परिवहन क्रियाकलाप में शामिल कोई रोकड़ वैन प्रति दौरे पर पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं ले जाएगी ।

(2) निजी सुरक्षा अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि प्रति दौरे पर दस लाख रुपए से अधिक रोकड़ ले जाने के लिए सुरक्षित रोकड़ वैन अभिनियोजित की जाएगी ।

10. बैंक करेंसी के रखे जाने तथा रात भर उसे अंतःकक्ष में रखने के लिए प्रयोग किए गए निजी रोकड़ अंतःकक्ष के लिए विनिर्देश – निजी सुरक्षा अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि सभी रोकड़ प्रबंधन, जिसके अंतर्गत गणना, छटाई और बंडल बांधने संबंधी क्रियाकलाप भी हैं, निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार सुरक्षित परिसरों में किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) निजी रोकड़ अंतःकक्ष परिसरों की अवस्थिति – रोकड़ प्रबंधन क्रियाकलापों के संबंध में उपयोग किए गए परिसर इस तरह से अवस्थित हों जिससे कि क्रियाकलापों/संक्रियाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, जिनके अंतर्गत ऐसे क्षेत्र भी हैं जो बैंक के रोकड़ निकासी केन्द्र या पुलिस स्टेशन के समीपतम हैं, और इनमें ऐसे एकांत क्षेत्र भी हैं जिनकी अल्प संयोजकता से बचा जा सके;

(ख) परिसरों का डिजाइन – परिसरों को इस तरह से डिजायन किया जाएगा कि उनमें दो भौतिक रूप से स्वतंत्र क्षेत्र होंगे जिनमें से एक साधारण कार्यालय प्रयोजन के लिए और दूसरा सुरक्षित रोकड़ प्रक्रिया एंव प्रबंधन क्रियाकलापों को

सम्मिलित करने के लिए होगा और उसके अंदर सुरक्षित रोकड़ वैनों पर रोकड़ जमा, संग्रहण, छंटाई, गणना और रोकड़ का परिदान करने और प्रेषण के लिए स्थान होगा ;

(ग) रोकड़ अंतःकक्ष- निम्नलिखित विनिर्देशों के अनुसार रोकड़ अंतःकक्षों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की विनिर्दिष्ट अपेक्षा को पूरा करने हेतु रोकड़ भंडारण के लिए सुरक्षित क्षेत्र डिजाइन किया जाएगा, अर्थात् :-

(i) ऐसे छोटे शहरों में, जिनकी दस करोड़ रूपए से कम की सीमित रातभर अंतःकक्ष की आवश्यकता है, उनमें रक्षक अलमारी वाली तिजोरी हो ;

(ii) ऐसे प्रचालन केन्द्रों पर जिनमें दस से एक सौ करोड़ रूपए तक की रातभर अंतःकक्ष की आवश्यकता है, उनमें 'ग' श्रेणी अंतःकक्षों के लिए विनिर्दिष्ट भारतीय रिजर्व बैंक के संनियमों के अनुसार अंतःकक्ष सुविधा हो ;

(iii) ऐसे बृहद प्रचालन केन्द्रों पर जहां एक सौ करोड़ रूपए से अधिक रातभर अंतःकक्ष की आवश्यकता है, उन पर संबंधित बैंक के परामर्श से वर्धित अंतःकक्ष सुविधा हो; और

(iv) सभी रातभर अंतःकक्ष सुविधाओं में पृथक और अनन्य पात्रों में बहु बैंकों की करेंसी को भंडारित करने की व्यवस्था हो ;

(घ) रोकड़ अंतःकक्षों की सुरक्षा – निजी सुरक्षा अभिकरण बैंक की ओर से रोकड़ के सुरक्षित प्रबंधन के लिए प्रयोग किए गए उसके रोकड़ अंतःकक्ष में निम्नलिखित सुरक्षा पहलुओं को सुनिश्चित करेगा, अर्थात् :-

(i) सशस्त्र निजी सुरक्षा गार्डों की पर्याप्त संख्या चौबीस घंटे तैनात हो;

(ii) परिसर 24x7 इलैक्ट्रानिक निगरानी और मानीटरी के अधीन हो;

(iii) रोकड़ अंतःकक्ष में कैमरों की पर्याप्त संख्या के साथ सीसीटीवी प्रणाली लगी हुई हो जिसमें कम से कम 90 दिन रिकार्ड करने की सुविधा हो;

(iv) रोकड़ अंतःकक्ष में क्रियाकलाप दोहरी अभिरक्षा आधार के अधीन हो;

(v) मुख्य रोकड़ अंतःकक्ष क्षेत्र सभी सुरक्षा सन्नियमों जैसे अग्नि शमन प्रणाली, धूम्र खोज प्रणाली, आपात लाईट, यानों के संचलन को निगरानी करने के लिए नियंत्रण कक्ष, स्व-डायलकर्ता और चोरी सुरक्षा प्रणाली का अनुपालन करता हो;

(vi) जी.एस.एम. आधारित स्व-डायलकर्ता, अग्नि और मैग्नेटिक सैंसर वाले सुरक्षा अलार्म संस्थापित किए गए हों ;

(vii) रोकड़ की लदाई और उतराई क्षेत्र रात्रि दृष्टि सीसीटीवी कैमरों द्वारा आच्छादित हों;

(viii) रोकड़ अंतःकक्ष के भीतर इलैक्ट्रिक विद्युत प्रदाय प्लग इन और प्लग आउट सिस्टम के माध्यम से लगाया गया हो;

(ix) रोकड़ अंतःकक्ष के भीतर अनावृत्त लाईट ले जाना पूर्णतया प्रतिषिद्ध हो और शुष्क बैटरी प्रचालित टार्च या आपात लाईट तिजोरी के अंदर प्रयोग की जाती हो;

(x) इन्वर्टर की सहायता से आपात प्रकाशक सुरक्षा कर्मचारीवृंदों को सदैव उपलब्ध हो ;

(xi) रोकड़ प्रसंस्करण और अंतःकक्ष क्षेत्रों की अधिमानतः इंटरलॉकिंग प्रणालियों और फ्रिस्किंग के माध्यम से निर्बाधित और नियंत्रित पहुंच हो;

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजनों के लिए "सीसीटीवी" पद से ऐसा बंद परिपथ वाला टेलीविजन अभिप्रेत है जो भंडार या कंपनी में क्रियाकलापों को निगरानी करने के लिए कैमरों, रिकार्डरों और डिस्पले से मिलकर बने स्वतः पूर्ण निगरानी प्रणाली है ।

11. जोखिम न्यूनीकरण के लिए उपाय – (1) निजी सुरक्षा अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी सुरक्षा के अधीन एटीएम में कर्मीदल उठाईगिरी हानि तथा एटीएम कपट की घटनाओं को कम करने के लिए एक बारगी इलेक्ट्रानिक संयोजन ताले लगे होंगे ।

(2) किसी एटीएम मशीन में रोकड़ भरण के लिए पूर्व दिन या पूर्वाह्न पर बैंक से संग्रहण होगा ताकि उपनियम 3 में नियत समय से पहले प्रचालन समाप्त हो सके।

(3) एटीएम रोकड़ भरने या रोकड़ परिवहन क्रियाकलाप–

(क) नगरीय क्षेत्रों में 9 अपराह्न के बाद

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में 6 अपराह्न के बाद

(ग) वामपंथी अग्रवार प्रभावित क्षेत्रों के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में 9 बजे पूर्वाह्न के पहले या 4 अपराह्न के बाद नहीं किया जाएगा।

पहली अनुसूची

[नियम 4 (1) देखिए]

सुरक्षित रोकड़ वैन के लिए डिजाइन और विशिष्टता

(क) मेक-रोकड़ वैन -

(i) कम से कम 2200 सीसी क्षमता वाले इंजन के साथ, अधिमानत: टर्बोचार्जित, हल्का वाणिज्यिक यान होगी;

(ii) 7 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होगी;

(iii) में ट्यूबरहित टायर लगे होंगे;

(iv) में कम से कम 190 मि.मी. भू अंतस्थान होगा; और

(v) में न्यूनतम पांच यात्रियों की जगह होगी;

(ख) **अभिविन्यास**- रोकड़ वैन में रोकड़ भंडारकरण के लिए यात्री कंपार्टमेंट यूनिट से वस्तुत: पृथकत: और बंद कंपार्टमेंट होगा;

(ग) **रोकड़ कंपार्टमेंट सुरक्षा-** (i) रोकड़ कंपार्टमेंट, वैन के बाहरी भाग से तब तक पहुंच से बाहर होना चाहिए जब तक आंतरिक रूप से हस्तचालित या इलैक्ट्रोनिक ताले के माध्यम से प्रचालित न किया जाए और रोकड़ वैन में केवल एक द्वार तथा जाली का फाटक विशेष रूप से स्टील के साथ प्रबलित रूप से लगा हो ;

(ii) रोकड़ कंपार्टमेंट का प्रवेश पीछे की ओर से होगा जिससे उचित दृश्यमानता, संक्रियात्मक साध्यता और सीसीटीवी निगरानी सुनिश्चित की जा सके;

(iii) सभी खिड़कियां और हवा रोक शीशे एक वर्ग इंच से अधिक के तार की जाली से नहीं बने होंगे और प्रत्येक खिड़की की जाली में शस्त्रों के प्रयोग के लिए छह इंच व्यास का एक चक्रीय छिद्र होगा।

(iv) हूटर बजाने के लिए संकट बटन ड्राइवर और अन्य अभिधारकों के पास उपलब्ध हैं।

(घ) **रोकड़ बॉक्स सुरक्षा** – प्रत्येक बक्सा तल पर पृथक् जंजीरों और तालों से सुरक्षित किया जाएगा जो विभिन्न अभिरक्षकों के पास रखी हुई अलग अलग चाबियों के प्रयोग से खोला और बंद किया जा सके और प्रत्येक बैंक के लिए रोकड़, अधिमानत:, किसी अलग बक्से में जिस पर उस बैंक का नाम लिखा हो, ले जाया जाएगा।

(ङ) **अन्य सुरक्षा विशिष्टताएं**- (i) रोकड़ वैन में एक छोटा सीसीटीवी सिस्टम लगा होगा जिसमें कम से कम पांच दिन की रिकार्डिंग करने की सुविधा हो, और तीन कैमरे केबिन के आगे, पीछे और भीतर लगे हुए हों।

(ii) जीएसएम आधारित स्व-डायलकर्ता सुरक्षा अलार्म मोटर चालित सायरन लगा होगा।

(iii) रोकड़ वैन में, किसी आक्रमण की दशा में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए भोंपू, अग्निशमन यंत्र और आपात लाइटें लगी होंगी।

IndiaCode

दूसरी अनुसूची

[नियम 7 (1)(क) देखिए]

रोकड़ परिवहन क्रियाकलापों में लगे हुए या नियुक्त कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण

(क) रोकड़ संभालने और रोकड़ परिवहन क्रियाकलापों की जानकारी-

(i) सेवा का क्षेत्र;

(ii) दल संरचना;

(iii) चालक, सशस्त्र गार्ड, रोकड़ अभिरक्षक के कार्य;

(iv) रोकड़ वैनों का कार्यान्वयन;

(v) संबद्ध अभिकरणों के संपर्क ब्यौरे;

(vi) धमकी और अंतर्वलित जोखिम;

(vii) रिपोर्ट करने की प्रक्रिया;

(ख) धमकी और जोखिम--

(i) आपराधिक और बदमाश गतिविधियां

(ii) यान रखने वाले अपराधियों द्वारा पीछा किया जाना

(iii) स्थैतिक और गतिमान यान को विनिर्दिष्ट धमकियां

(iv) आंतरिक धमकी

(v) दल सदस्यों द्वारा कपटपूर्ण व्यवहार

(vi) जीवन हानि तथा आपात

(vii) सड़क दुर्घटना और यान की खराबी

(viii) अग्नि दुर्घटना

(ग) रोकड़ वैन की रक्षा और सुरक्षा-

(i) रोकड़ और मूल्यवान वस्तुओं को ले जाने वाली रोकड़ वैन की अंतस्थ सुरक्षा विशिष्टतां

(ii) रोकड़ और मूल्यवान वस्तुओं को ले जाने के लिए रोकड़ बॉक्स

(iii) तालाबंद करना और सुरक्षा पद्धति

(iv) शस्त्र और गोला बारूद

(v) संसूचना उपस्कर

(vi) ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम

(vii) अग्निशमन यंत्र

(viii) संकट अलार्म

(ix) प्राथमिक उपचार किट

(घ) अभिकरण--

(i) निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 29) के अधीन नियंत्रण प्राधिकारी

(ii) पुलिस स्टेशन, पीसीआर वैन, पुलिस दूरभाष सहायता

(iii) नियंत्रणकारी पर्यवेक्षक और प्रचालन प्रबंधक

(iv) संबद्ध बैंक का प्रतिनिधि

(v) एंबूलेंस और अस्पताल सेवाए

(ड.) शस्त्र, गोला -बारूद और दस्तावेज

(i) गार्डों को न्यूनतम 12 बोर डीबीबीएल शॉटगन बंदूक उपलब्ध कराई जानी चाहिए। बंदूक का दो वर्ष में कम से कम एक बार फायर का परीक्षण होना चाहिए। बंदूक के कारतूस दो वर्ष में एक बार बदले जाने चाहिए। बंदूक की सरकार से अनुमोदित शस्त्रशाला द्वारा जांच तथा प्रमाणित कराई जानी चाहिए।

IndiaCode

(ii) दस्तावेज-बंदूक अनुज्ञप्ति, पहचान पत्र और प्राधिकारियों द्वारा अधिरोपित निर्बंधनों के दौरान शस्त्र ले जाने की अनुज्ञा

(iii) बदमाशों द्वारा ले जाए जाने वाले वास्तविक शस्त्र

(iv) अन्य वस्तुएं जो बदमाशों द्वारा शस्त्र के रूप में प्रयोग की जा सकें

(च) आपात और घटना प्रतिक्रिया

(i) संकट चेतावनी प्रक्रिया

(ii) संबद्ध अभिकरणों से सहायता वांछा करना

(iii) अपराधियों और बदमाशों को भय दिखाकर रोकने और मुकाबला करने के लिए शस्त्र का प्रयोग

(iv) दल सदस्यों और प्रेषण की सुरक्षा सुनिश्चित करना

(v) स्थिति से मुकाबला करना और यान को सुरक्षित जगह की ओर ले जाना

(vi) घायलों को निकालना

(छ) अन्य आंतरिक संगठनात्मक प्रक्रिया

(i) पूर्ववृत की जांच प्रक्रिया

(ii) भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) और प्रसुविधाएं

(iii) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948(1948 का 11) औरि प्रसुविधाएं

(iv) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948(1948 का 34) और प्रसुविधाएं

(v) छुट्टी हकदारी और आवेदन प्रक्रिया

(vi) अन्य कंपनी नियम

(vii) कर्मचारी के रूप में वाध्यता ।

IndiaCode

[फा.सं.24021/13/2016-पीएम-I]

विवेक भारद्वाज, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2018

G.S.R. 755(E).— WHEREAS the public and private sector bank and other financial service providers are outsourcing the secured handling and transportation of cash and valuables by use of armoured car service being provided by private security agencies;

AND WHEREAS it has been estimated that there are over eight thousand privately owned cash vans plying across the country which are being operated by non-bank private agencies which function as service provider or outsourcing agency for the banking sector and currently carrying currency of over fifteen thousand crore rupees each day on behalf of banks and some times holding such currency overnight on behalf of banks at their private cash vaults;

AND WHEREAS in recent years, there has been a spurt in incidents of attacks on cash vans and cash vaults and ATM fraud and other internal fraud and misappropriation by employees of these private agencies which has resulted in loss of public money leading to increased sense of insecurity;

AND WHEREAS privately owned cash vans and currency vaults have become soft targets for miscreants and multiple incidents have been reported by various State Police agencies and there is increased risk of large volumes of cash falling into the hands of undesirable elements;

AND WHEREAS keeping in view the criticality of securing cash movement functions in day-to-day banking operations and increase in the banking and ATM operations in the coming years, it has been considered necessary to lay down guidelines for standard operating procedures for providing security by the private security agencies to cash transportation activities, which shall be conformed by the State Governments while framing rules under section 25 of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 24, read with sub-section (2) of section 25, of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (29 of 2005), the Central Government hereby makes the following model rules regulating the manner of providing security by the private security agencies to cash transportation activities, namely:—

MODEL RULES

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Private Security Agencies (Private Security to Cash Transportation Activities) Rules, 2018.

(2) These rules shall come into force on the expiry of six months of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (29 of 2005);

(b) "ATM" means the automatic teller machine that dispenses cash or performs other banking services when an account holder of any bank inserts a Bank card therein;

Explanation – For the purposes of this clause, "Bank card" includes credit card or debit card;

(c) "cash handling agency", "cash replenishment agency" or "cash-in-transit agency" means an agency or entity, by whatever name called, engaged in cash transportation activities;

(d) "cash transportation activities" means the physical transfer of cash, such as banknotes, coins, credit card, debit card or other items of value from one location to another, and includes loading cash in to, or unloading cash from, an ATM machine;

(e) "private security" or "private security agency" shall have the same meaning as assigned to it in clause (f) or clause (g) of section 2 of the Act;

(f) "Schedule" means a Schedule appended to these rules.

3. Private Security for cash transportation activities, etc.- (1) No private security shall be provided by the private security agency for cash transportation activities unless he holds a license under the Act.

(2) For the purpose of providing private security for cash transportation activities, a contract may be entered into between,-

(a) a private security agency holding a license under the Act and the bank concerned; or

(b) a cash handling agency and the bank concerned:

Provided that in case the cash handling agency holds a license as a private security agency under the provisions of the Act, such cash handling agency may itself provide the private security to cash transportation activities in accordance with the provisions of these rules.

4. Use of specially designed and fabricated cash van.— (1) No private security agency shall provide private security or private security guards to a Bank or a cash handling agency for cash transportation activities, unless such activities are carried out in a secured cash van, which complies with the conditions for design and specification specified in the First Schedule, owned by it or owned by the Bank or the cash handling agency, as the case may be.

(2) No taxi or hired vehicle shall be used for cash transportation activities by the private security agency:

Provided that a vehicle which is on long term contract with the private security agency or Bank or cash handling agency and the vehicle complies with the conditions for design and specification laid down under sub-rule (1) may be used by the private security agency:

Provided further that in case of any remote location where private security agencies are not present and not serviced by a currency chest, any vehicle at such location may be used as an exception under the strict security control and support of the local police.

5. Requisite number of trained staff per cash van.— (1) The private security agency shall provide the private security for the cash transportation activities with the requisite number of trained staff, directly appointed or engaged by the private security agency, as specified in sub-rule (2).

(2) Every cash van shall have the following minimum staff, possessing the qualifications and training laid down under section 10 of the Act, on board for every single cash transportation activities, namely:—

(i) Driver – one;

(ii) Armed security guards – two; and

(iii) ATM officer or custodian – two.

(3) The cash van shall always be escorted by at least two trained armed security guards on board:

Provided that more than two armed security guard may be deputed on a cash van depending on the amount of cash carried and in accordance with the individual company's insurance guidelines or client contract or terrain of operation.

(4) Where the cash van is a medium motor vehicle, one armed guard shall sit in the front along with the driver and another in the rear portion of the van and while in transit, loading or unloading, nature's call, tea or lunch break, at least one armed security guard shall remain present with the cash van all the time.

(5) Notwithstanding any other provision in these rules, the ex-serviceman, otherwise eligible, may preferably be appointed or engaged by the private security agency for providing security for cash transportation activities.

6. Antecedent check of personnel.— (1) No private security agency shall appoint or engage or deploy any personnel for the cash transportation activities, unless such personnel has undergone thorough antecedent check and his proper KYC verification and police verification is done, before appointing or engaging or deploying them by the agency, in accordance with the provisions of the Act or any other law for the time being in force.

Explanation.— For the purposes of this sub-rule, the expression "KYC" means the know your customer process of an agency or business identifying and verifying the identity of its clients or person associated or to be associated with the agency or business.

(2) Every private security agency shall be responsible to comply with the following checks before an individual is appointed or engaged to participate in cash transportation activities, namely:—

(a) police clearance certificate – every individual shall obtain the police clearance certificate from his local police station before appointment or engagement;

(b) residence verification – the private security agency shall use its own resources to conduct a physical verification of the residential address of every individual, including general conduct check and the individual shall furnish to the security agency the proof of residential address of at least three years before appointment or engagement for the cash transportation activities;

(c) previous employer check – the private security agency shall use its own resources to conduct reference check with previous employers of the individual, if any;

(d) Aadhaar verification – each individual appointed or engaged for the cash transportation activities shall be antecedent verified through Aadhaar number from the Unique Identification Authority of India;

(e) credit history check – the private security agency shall conduct a credit history check of every individual appointed or engaged to ensure that wilfull credit defaulters are not appointed or engaged for the cash transportation activities;

(f) fidelity insurance – the private security agency shall obtain a fidelity insurance in respect of every personnel appointed or engaged for the cash transportation activities.

7. Adequate training and certification of personnel.— The private security agency shall ensure that every personnel appointed or engaged for cash transportation activities shall be imparted,-

(a) the training and certified for the security and safe handling of such activities as per the requirements of training laid down in the Second Schedule;

(b) the refresher training once in every two years.

8. Live GPS tracking of cash van during operations.— (1) Every cash transportation activities shall be carried out only in secured cash vans fitted with GPS tracking device.

Explanation.— For the purposes of this sub-rule, the expression "GPS" means the global positioning system which is a space-based navigation system that provides location and time information in all weather conditions, anywhere on or near the Earth where there is an unobstructed line of sight to four or more GPS satellites.

(2) The private security agency shall ensure that each cash van shall be monitored at all times during cash transportation activities through a redundant communications protocol.

9. Guideline for maximum cash carrying limit in a single cash van.— (1) The private security agency involved in cash transportation activities shall ensure that no cash van carries cash of more than five crores rupees per trip.

(2) The private security agency shall ensure that secured cash van shall be deployed for carrying cash of more than ten lakh rupees per trip.

10. Specification for private cash vaults used for holding and overnight vaulting of Bank currency.— The private security agency shall ensure that all cash handling, including counting, sorting, and bundling activities shall be carried out in secured premises in accordance with the following guidelines, namely:—

(a) Location of private cash vault premises – the premises used for cash handling activities shall be located to ensure safety of activities/ operations, including areas closer to bank's cash withdrawal centre or police station and secluded areas with poor connectivity be avoided;

(b) Design of premises – the premises shall be designed to include two physically independent areas, one for general office purpose and other for secured cash processing and handling activities and it shall accommodate space for cash deposit, collection, sorting, counting and delivery and dispatch of cash on secured cash vans;

(c) Cash vault – a secured area shall be designed to store cash to meet with the requirement of the Reserve Bank of India specified for cash vaults in accordance with the following specifications, namely:—

(i) in smaller cities with limited overnight vaulting requirements of less than ten crore rupees, a strong room with defender safes;

(ii) at operation centres with overnight vaulting requirements between ten to one hundred crore rupees, vaulting facility as per the norms of the Reserve Bank of India specified for C Class vaults;

(iii) at large operation centres with overnight vaulting requirements of more than one hundred crore rupees, increased vaulting facility in consultation with the concerned Bank; and

(iv) all overnight vaulting facilities shall have provision to store currency of multiple Banks in separate and exclusive bins;

(d) Security of cash vault – the private security agency shall ensure the following security aspects at its cash vault used for secured handling of cash on behalf of the Bank, namely:—

(i) adequate number of armed private security guards are deputed round the clock;

(ii) premises is under 24x7 electronic surveillance and monitoring;

(iii) cash vault is provided with CCTV system with adequate number of cameras having at least ninety days recording facility;

(iv) the activities at cash vault is undertaken under dual custody basis;

(v) the main cash vault area complies with all safety norms, like firefighting systems, smoke detection systems, emergency lighting, control room for monitoring the movement of vehicles, auto-dialer and burglar security systems;

(vi) security alarm with GSM based auto dialer, fire and magnetic sensor are installed;

(vii) the loading and unloading area of cash is covered by night vision CCTV cameras;

(viii) electric power supply inside the cash vault is provided through plug-in, plug-out system;

(ix) carrying of naked light inside the cash vault is strictly prohibited and dry battery operated torches or emergency lights are used inside strong rooms;

(x) emergency lighting with the help of inverter shall always be available to the security staff; and

(xi) cash processing and vault areas shall have restricted and controlled access, preferably through interlocking systems and frisking.

Explanation - For the purposes of this rule, the expression "CCTV" means the closed circuit television which is a self-contained surveillance system comprising cameras, recorders and displays for monitoring activities in a store or company.

11. Measures for risk mitigation.— (1) The private security agency shall ensure that the ATM under its security shall be fitted with one time electronic combination locks for reducing the instances of crew pilferage losses and ATM frauds.

(2) The cash for loading in to an ATM machine shall be collected from the Bank on previous day or in the first half of the day so that operations can be concluded before the time stipulated in sub-rule (3).

(3) No cash loading of the ATMs or cash transportation activities shall be done —

(a) after 9 PM in urban areas;

(b) after 6 PM in rural areas; and

(c) before 9 AM or after 4 PM in the districts notified by the Central Government as Left Wing Extremism (LWE) affected areas.

THE FIRST SCHEDULE

[See rule 4(1)]

DESIGN AND SPECIFICATION FOR SECURED CASH VANS

(a) **Make.**— The cash van shall—

(i) be a Light Commercial Vehicle, with an engine capacity of not less than 2200 CC, preferably turbocharged;

(ii) be not more than seven years old;

(iii) have tubeless tyres;

(iv) have a ground clearance of not less than 190 mm; and

(v) accommodate minimum of five passengers.

(b) **Layout.**— The cash van shall have the compartment for storing cash, physically separated and locked from the passenger compartment unit;

(c) **Cash compartment security.**— (i) The cash compartment should be inaccessible from outside the van unless operated internally through manual or electronic lock and cash compartment is specially reinforced with steel with only one door and grill gate;

(ii) the entrance of the cash compartment shall be from the rear side to ensure proper visibility, operational feasibility and CCTV surveillance;

(iii) all windows and wind screen shall have wire mesh protection of not more than one square inch and each window mesh shall have a circular port-hole of six inches diameter for use of weapons;

(iv) the panic switches for operating the hooter are available with the driver and other occupants.

(d) **Cash box security.**— Each of the cash boxes shall be secured to the floor with separate chains and have locks that can be opened or locked only by using separate keys kept with different custodians and cash for each bank shall be carried, preferably, in a separate box with the name of the bank written on it.

(e) **Other security features.**— (i) The cash van shall be provided with a small CCTV system with at least five days recording facility and three cameras installed in front, rear and inside of the cabin.

(ii) A security alarm with GSM based auto-dialer shall be provided with a motorised siren.

(iii) The cash van shall be equipped with hooter, fire extinguishers and emergency lights to ensure quick reaction in case of an attack.

THE SECOND SCHEDULE

[See rule 7(1)(a)]

TRAINING FOR PERSONNEL APPOINTED OR ENGAGED IN CASH TRANSPORTATION ACTIVITIES

(a) Basics of cash handling and cash transportation activities.—

(i) Scope of service

(ii) Team composition

(iii) Role of driver, armed guard, cash custodian

(iv) Functioning of cash vans

(v) Contact details of concerned agencies

(vi) Threat and risks involved

(vii) Reporting procedure

(b) Threat and risks.—

(i) Criminal and miscreant action

(ii) Tailing by vehicle-borne criminals

(iii) Specific threats to stationary and moving vehicle

(iv) Insider's threat

(v) Fraudulent practices by team members

(vi) Loss of life and medical emergency

(vii) Road accident and vehicle breakdown

(viii) Fire accident

(c) Safety and security of cash van.—

(i) In-built safety features of the cash van carrying cash and valuables

(ii) Cash boxed for carrying cash and valuables

(iii) Locking and security systems

(iv) Weapon and ammunition

(v) Communication equipment

(vi) Global Positioning System

(vii) Fire extinguishers

(viii) Distress alarm

(ix) First-aid kit

(d) Agencies.—

(i) Controlling Authority under the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (29 of 2005)

(ii) Police station, PCR vans, police helpline

(iii) Controlling supervisor and operations manager

(iv) Concerned Bank representative

(v) Ambulance and hospital services

(e) Weapons, ammunition and documents.—

IndiaCode

(i) Minimum 12 bore DBBL shot gun should be provided to the guards. Gun must be test fired at least once in two years. Gun cartridges must be replaced once in 02 years. Gun must be checked and certified by a Government approved armourer

(ii) Documents – gun licence, identity card and permission to carry weapon during restrictions imposed by authorities

(iii) Real weapons carried by miscreants

(iv) Other objects which can be used as weapon by miscreants

(f) Emergency and incident response.—

(i) Distress alarm procedure

(ii) Seeking help from concerned agencies

(iii) Use of weapon to deter and resist criminals and miscreants

(iv) Ensure safety of team members and consignment

(v) Disengage from situation and drive vehicle to safety

(vi) Evacuation of the injured

(g) Other internal organisational procedures.—

(i) Antecedent check procedure

(ii) The Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925) and benefits

(iii) The Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and benefits

(iv) The Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and benefits

(v) Leave entitlement and application procedure

(vi) Other company rules

(vii) Obligations as employee

IndiaCode

[F. No. 24021/13/2016-PM-I]

VIVEK BHARADWAJ, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.08.13 19:38:28 +05'30'